(1)

संख्या- 1902/बयालिस-2016-38/एस0पी0/104/82

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जी-575
05/01/17

लखनऊ : दिनांक : 28 दिसम्बर, 2016

खेल अनुभाग

विषय :- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत खिलाड़ियों के कोचों के सम्मान की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-610/प्रशिक्षकों प्रोत्सा0 पुरस्कार/2015-16 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 का कृपया सदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाडियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 1729/बयालिस-2005-38/एस0पी0/104/82 दिनांक 31 मई, 2005 जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाडियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने से सम्बन्धित है को अवक्रमित करते हुए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ में पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी खिलाडियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है :-

संयु0 निदे0
5/1/17
श्री योगेश
04.01.2017

(अ) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु :-

1- एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार (रूपये में)

क्र0 स0	वर्ग	स्वर्ण	रजत	कांस्य
01	सब-जूनियर	10,000	7,500	5,000
02	जूनियर	15,000	10,000	7,500
03	सीनियर	25,000	15,000	10,000

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताऐं- ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्वकप तथा विश्व चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्षो में आयोजित होने वाली) में पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है :-

1- एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार (रूपये में)

क्र0स0	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण	रजत	कांस्य
01	ओलम्पिक गेम्स	5,00,000	3,00,000	2,00,000
02	कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स विश्वकप	1,50,000	1,00,000	50,000

प्रोत्सा0 2015-16 मंगलफाट

	तथा विश्व चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित होने वाली)			

3- सैफ गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल (नेशनल गेम्स) के पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को निम्नानुसार प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जायेगा।

क्र0सं0	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण	रजत	कांस्य
01	सैफ गेम्स	50,000	35,000	25,000
02	राष्ट्रीय खेल	50,000	35,000	25,000

4- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल/सैफ गेम्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को निम्नलिखित मापदण्ड के अन्तर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है :-

(1)-क- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं- ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्वकप तथा विश्व चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित होने वाली) के पदक विजेता खिलाड़ियो हेतु जिस प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कृत खिलाड़ी को, जिसने प्रतियोगिता में पदक जीता हो उससे ठीक पूर्व, कम से कम 02 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया हो, वही पात्र माना जायेगा।

ख - सैफ गेम्स/ राष्ट्रीय खेल हेतु जिस प्रशिक्षक द्वारा कम से कम 01 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया गया हो, वही इसका पात्र माना जायेगा।

ग - राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु जिस प्रशिक्षक द्वारा कम से कम 01 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया गया हो, वही इसका पात्र माना जायेगा।

(2) प्रस्तर-4(1) क, ख, ग की प्रतियोगिता के पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों एवं सम्बन्धित संघ द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने के उपरान्त ही प्रोत्साहन पुरस्कार सम्बन्धित प्रशिक्षक को अनुमन्य किया जायेगा।

(3) एकल एवं टीम गेम्स में एक ही खिलाड़ी के पदक प्राप्त किये जाने पर केवल सर्वश्रेष्ठ पदक के आधार पर प्रशिक्षक को प्रोत्साहन पुरस्कार अनुमन्य किया जायेगा।

(4) किसी प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी, एक से अधिक पदक अर्जित करता है, तो वह श्रेष्ठ अर्जित पदक के अनुसार धनराशि के पात्र होंगे।

(5) एक से अधिक प्रशिक्षक द्वारा पदक विजेता खिलाड़ी को उपरोक्त निर्धारित अवधि में एक साथ प्रशिक्षित किया गया है तो ऐसी दशा में प्रशिक्षक के प्रोत्साहन हेतु प्रस्तावित धनराशि एक से अधिक प्रशिक्षकों में बराबर-बराबर बाँटी जायेगी।

(6) यदि कोई खिलाड़ी निजी प्रशिक्षक रखता है तो अन्य खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों की भाँति उसको धनराशि अनुमन्य कराई जायेगी। सम्बन्धित संघ व खिलाड़ी द्वारा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षकों को सम्बन्धित प्रदेशीय क्रीडा संघो के माध्यम से प्रस्ताव संस्तुति सहित निर्धारित संलग्न प्रारूप-1 पर उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) " के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई- 5/1298/10/2016 दिनांक 28 दि.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीया,

(डा० अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1902(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग 5 ।
3- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर आपरेटर ।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
विशेष सचिव।